



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227301
CG-DL-E-01062021-227301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1959]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943

No. 1959]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

का.आ. 2112(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH-31D (नया एन.एच. 27) (घोषपुर-सलसलाबारी सेक्शन) के 113.200 किमी से 154.854 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH31D (नया एन.एच. 27) (घोषपुकुर-सलसलाबारी सेक्शन) के 113.200 किमी. से 154.854 किमी. तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर अलीपुरद्वार	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH31D के कि.मी. 113.2 से 154.854 तक	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	अलीपुरद्वार-I	1 पारपातलाखावा

[फा. सं. NHAI Tech/Ph-III/DPR/LA/WB/2003]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

S.O. 2112(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 113.200 to Km. 154.854 of the NH31D (New NH-27) for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of WEST BENGAL.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway from Km. 113.200 to Km. 154.854 of the NH31D (New NH-27) (Ghoshpukur-Salsalabari Section) in the State of WEST BENGAL.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Magistrate & Collector Alipurduar	113.2KM To 154.854KM	WEST BENGAL	Alipurduar	Alipurduar - I	1 Parpatlakhawa

[F. No. NHAI Tech/Ph-III/DPR/LA/WB/2003]

RAJESH GUPTA, Director